

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक-...../न0नि0

सेवा में,

श्री ~~मनोज मोदी~~, निदेशक, आलोकिक सुखाम इन्फ्रा प्रा0लि0 डेवलपर्स  
~~श्री उमेश कुमार तुलसियान एवं अन्य~~ पिता-श्री मनवर पू0 मोदी,  
~~श्री धनराज रायण तुलसियान~~, एकान्त अपार्टमेंट काली मंदिर रोड,  
.....धनबाद.....

धनबाद, दिनांक 4/11/10

विषय:- आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं0 बी0डी0-575/10-11 संबंधी आपके आवेदन दिनांक 1.10.10 के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या- 11854, 11816, 11817 ..... दाखिल खारिज अभिलेख

संख्या- 191, 111, 90-91, 190, 111, 90-91 जमाबंदी संख्या 258, 257 से निर्गत

लगान रसीद वर्ष 10-11

की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond

एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन

संबंधी बी0डी0 केश नं0 575/10-11

के नक्शों की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास

प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि सुसनी लेवा

मौजा अन्तर्गत खाता नं0 46

प्लोट नं0 133, 136

रकवा 25200 वर्गफीट

भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री अनिल कुमार चौधरी की देख-रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 2 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के वेगैर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेंगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय-समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन विनियमन के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य सरकार/नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

नगर निवेशक/तकनीकी सदस्य

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार,

धनबाद।

4/11/10

4/11/10